



राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अग्नेडकर भवन राजमहल पेलिस के पास, जयपुर।

क्रमांक प.4(5)ले.मु/सान्याअवि/2021-22/ 64964

जयपुर, दिनांक 24/11/21

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या...34../2021-22

मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटना के प्रकरणों में दी गई सहायता राशि के पुनर्भरण हेतु वित्त विभाग की सहमति आई.डी. सं. 162101045 दिनांक 18.11.2021 के क्रम में जुलाई, 2021 तक (पहला राशि) व अगस्त 2021 एवं सितम्बर 2021 में गुगतान की गई राशि के पेटे राशि रु. 1500.00 लाख (अधरे राशि रु. पन्द्रह करोड मात्र) मुख्यमंत्री सहायता कोष के निजी निक्षेप खाते में अंतरित करने की एतद् द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह राशि निम्नांकित लेखा शीर्ष से वहन की जायेगी :-

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02- समाज कल्याण

200- अन्य कार्यक्रम

(19)- सडक दुर्घटना, प्राकृतिक दुर्घटना/आपदा, पशु दुर्घटना इत्यादि हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष के माफत अनुदान

[00]-

12 -- सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) राज्य निधि

यह स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्वधीन होगी:-

1. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्संबंधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जाये।
2. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुरार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ही किया जाये।
3. व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित अवधि में महालेखाकार/स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को प्रस्तुत किया जाये।
4. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय निर्धारित समय में स्वीकृत उद्देश्य पर ही किया जाये, तथा निर्धारित समय में खर्च नहीं हुई राशि राजकोष में पुनः जमा कराई जाये।
5. व्यय के लेखे महालेखाकार एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिए सदैव खुले रहेंगे।

(ओम प्रकाश बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
सान्याअवि, जयपुर

जयपुर, दिनांक 24/11/21

क्रमांक प.4(5)ले.मु/सान्याअवि/2021-22/ 64965-74

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक/ लेखा परीक्षा, राज., जयपुर।
2. सचिव (द्वितीय), मुख्यमंत्री सचिवालय, जयपुर।
3. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय-2), विभाग, राज. को उनकी अन्तर्विभागीय सहमति संख्या 162101045 दिनांक 18.11.2021 के क्रम में।
4. निदेशक (बजट), सचिवालय, राज., जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष के निजी निक्षेप खाते में राशि रु. 1500.00 लाख (अधरे राशि रु. पन्द्रह करोड मात्र) तत्काल अन्तरित कर इस विभाग को सुविधा कराने का श्रम करावे।
5. निजी सचिव, निदेशक, सान्याअवि, मुख्यालय, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
7. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, क.(ए) 98, नं. शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) को ऑनलाईन करवा देतु।
10. कार्यालय आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
(सतर्कता एवं प्रशमरण)